"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 966] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2025 — अग्रहायण 26, शक 1947

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2025

क्र. 114/सी.एस.ई.आर.सी./2025. — भारत सरकार, पर्यावरण हितैषी होने के कारण ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोंतो को विकसित करने पर बल दे रही है। विद्युत अधिनियम, 2003 में भी भारत सरकार द्वारा इस बारे में नीति निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है एवं ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोंतों को अपने क्षेत्राधिकार में प्रोत्साहित करने हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोगों को निर्देशित किया गया है।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) द्वारा के.वि.नि.आ.(नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतों से टैरिफ निर्धारण की दशएं और शर्तें) विनियम, 2024 अधिसूचित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों सहित बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना, नगर पालिका अपशिष्ट से ऊर्जा के लिए टैरिफ के निर्धारण संबंधी पहलुओं की चर्चा की गई है। विद्युत अधिनियम (EA) 2003 की धारा 61 के तहत, सी.ई.आर.सी. के विनियमों को, आर. ई. स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन से संबंधित मामलों से निपटने के दौरान एस.ई.आर.सी. के लिए मार्गदर्शक कारक माना जाता है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने अपने संशोधनों के साथ विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुँच) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है, जिसके आधार पर, इस आयोग द्वारा तैयार सीएसईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु निर्बंधन और शर्तें) विनियम, 2025 में कुछ प्रासंगिक पहलुओं को शामिल किया जा रहा है।

पवन ऊर्जा तकनीक केन्द्र (CWET)/ राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) के साथ ही क्रेडा ने छत्तीसगढ़ राज्य में कतिपय ऐसे स्थलों को चिन्हित किया है, जिनकी पवन ऊर्जा क्षमताओं का दोहन, विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, इसके लिए इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें समुचित प्रतिफल देना आवश्यक होगा।

भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है। अभी हाल ही में ग्लास्गो में हुए सीओपी—26 में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से विद्युत उत्पादन के अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 2030 तक 500 गीगावॉट किया है और इस तरह 2030 तक खपत की जाने वाले कुल ऊर्जा का लगभग 50 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होने की उम्मीद है। चूंकि भारत जीवाश्म ईंधन से गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणाली की ओर बढ़ रहा है और उसने ग्रीन हाऊस गैस/कार्बन डाई आक्साइड गैस उत्सर्जन को 2030

तक एक बिलियन टन तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे 500 गीगावॉट गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता स्थापित करने को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिसमें से 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हो। इस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार महंगी ताप विद्युत के साथ अपेक्षाकृत सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा का संयोजन करते हुए विविध योजनाएं और प्रणालियॉ प्रारंभ कर रही है ताकि ऊर्जा के अंतरण को प्रोत्साहन मिल सके और लाभार्थी वितरण कंपनी नवीकरणीय क्रय दायित्व न्यूनतम लागत पर पूरा करने में सक्षम हो सके।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए और विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 61, 86 सहपठित 181 में निहित शक्तियों और इस संबंध में अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक (आयोग) एतद्द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत विक्रय के निमित्त टैरिफ की शर्तें और दशाएं विनिर्दिष्ट करते हुए निम्नांकित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ–

1.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत के लिये टैरिफ के निर्धारण हेतु निर्बंधन और शर्ते) विनियम, 2025 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम, 01 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे और लागू होने की तिथि से पॉच वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

1.3 ये विनियम, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित होंगे और राज्य में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों पर प्रयोज्य होंग।

2. परिभाषाएँ एवं निर्वचन–

2.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है समय–समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

ख) उत्पादन केंद्र के प्रकरण में किसी काल खण्ड के संबंध में **''सहायक ऊर्जा खपत''** या **''AUX''** से अभिप्रेत है उत्पादन केंद्र के सहायक उपकरणों द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा, और उत्पादन केंद्र के अंतर्गत पारेषण की हानियां, जिसे उत्पादन केंद्र के संयुक्त अथवा पृथक सभी इकाइयों के जनरेटर टर्मिनलों पर उत्पन्न सकल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है;

ग) **''बायोगैस''** से अभिप्रेत है वह गैस, जो फसलो का अपशिष्ट, मल, मवेशियों का गोबर, पोल्ट्री अपशिष्ट और खाद जैसे कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में विघटित होने (किण्वन) से उत्पन्न होती है;

घ) **''बायोमास''** से अभिप्रेत है कृषि और वानिकी कार्यों के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट (उदाहरणार्थ तिनके और डंठल) अथवा कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण में उप–उत्पाद के रूप में उत्पन्न अपशिष्ट (उदाहरण के लिए भूसी, छिले, वितेलित केक, आदि); समर्पित ऊर्जा वृक्षरोपणों में उत्पादित लकड़ी अथवा जंगली झाड़ियों/खरपतवारों से प्राप्त लकड़ी, और कुछ औद्योगिक संचालनों में उत्पन्न लकड़ी का अपशिष्ट, ऐसे अन्य अपशिष्ट, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा बायोमास का हिस्सा माना जाये, शामिल हैं;

ड.) **''बायोमास गैसीकरण''** से अभिप्रेत है बायोमास के अपूर्ण दहन की प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोजन (H_2) और मीथेन (CH_4) के अंशों के मिश्रण से युक्त दहनशील गैसों का उत्पादन होता है;

च) **''क्षमता उपयोगिता कारक'' ''Capacity Utilization Factor''** अथवा **''सी.यू.एफ. अथवा संयंत्र भार कारक''** ''Plant Load Factor'' अथवा ''पी.एल.एफ.'' एक निश्चित कालखण्ड के लिए, से अभिप्रेत है उक्त कालखण्ड के संदर्भ में स्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त बाह्य प्रेषित विद्युत जिसकी संगणना निम्नांकित सूत्र द्वारा की जायेगी:

$$\text{सी.यू.एफ.} = \frac{\text{संदर्भित कालखण्ड में सकल उत्पादन}}{\text{स्थापित क्षमता x संदर्भित कालखण्ड के दौरान कुल घंटे (बंद घंटो सहित)}} \times 100\%$$

छ) **''पूंजीगत लागत''** से अभिप्रेत है संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए विनियमन 13, 25, 28, 34, 42, 47, 52, 56, 62, 68, और 73 में यथापरिभाषित;

ज) **''सी.ई.आर.सी''** से अभिप्रेत है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग;

झ) **''आयोग''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

ञ) **''प्रवर्तन में लाना'' (कमीशनिंग)** से अभिप्रेत है उत्पादन संयंत्र के प्रणालियों और घटकों की जॉच और संचालन, जैसी कि उत्पादन संयंत्र के सफल तुल्यकालन (सिंक्रोनाइजेशन) क लिए आवश्यक हो:
परंतु यह कि प्रवर्तन में लाने की प्रक्रिया न केवल नई परियोजनाओं पर लागू की जा सकेगी अपितु विस्तार, नवीनीकरण अथवा सुधार के चलते मौजूदा इकाईयों और प्रणालियों पर भी प्रयुक्त की जा सकेगी;

ट) **''नियंत्रण अवधि''** अथवा **''पुनरीक्षण अवधि''** से अभिप्रेत है वह अवधि, जिसके दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट टैरिफ निर्धारण के मानदंड वैध बने रहेंगे;

ठ) **''वाणिज्यिक परिचालन की तिथि''** अथवा **''सी.ओ.डी.''** से अभिप्रेत है

जनरेटिंग कंपनी द्वारा अपने जनरेटिंग स्टेशन की किसी यूनिट के संबंध में, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड/राज्य ग्रिड कोड के प्रावधानों के अनुरूप, घोषित कमीशनिंग की तिथि।

परंतु यह कि, कमीशनिंग की तिथि को नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर (RE Generator) और संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी. (SLDC), जैसा भी लागू हो, द्वारा संयुक्त निरीक्षण के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा।

ड) **''वित्तीय वर्ष''** से अभिप्रेत है किसी कैलेंडर वर्ष की अप्रैल प्रथम दिनांक से प्रारंभ होने वाली और परवर्ति कैलेंडर वर्ष की 31 वीं मार्च को समाप्त होने वाली अवधि;

ढ) **''फर्म विद्युत''** से अभिप्रेत है परियोजना की वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से और उसके उपरांत प्रदाय की गई किसी भी विद्युत ;

ण) **''फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट''** अथवा **''एफ.एस.पी''** से अभिप्रेत है एक सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजना , जहां परियोजना की संरचना पर फोटोवोल्टिक पैनलों की सरणियाँ एक फ्लोटर, एंकरिंग और मूरिंग सिस्टम की सहायता से पानी के एक निकाय, जैसे कि एक कृत्रिम बेसिन या झील के ऊपर तैरती हैं;

त) उत्पादन केन्द्र में प्रयुक्त ईंधन के संबंध में, **"सकल कैलोरी मान"** अथवा **"जी.सी.वी"** से अभिप्रेत है, एक किलोग्राम ठोस ईंधन अथवा एक लीटर द्रव ईंधन अथवा एक मानक घन मीटर गैसीय ईंधन, जैसी भी स्थिति हो, के पूर्णतः दहन से किलो कैलोरी में उत्पन्न ऊष्मा;

थ) **''सकल स्टेशन उष्मा दर''** या **''जी.एस.एच.आर''** से अभिप्रेत है विद्युत जनरेटर के टर्मिनल पर एक किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की मात्रा के उत्पादन हेतु आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की किलो कैलोरी में मापी गई मात्रा;

द) **''इनफर्म विद्युत''** से अभिप्रेत है उत्पादन केन्द्र/इकाई द्वारा वाणिज्यिक संचालन की तिथि की घोषणा के पूर्व उत्पादित विद्युत;

ध) **''स्थापित क्षमता''** अथवा **''आई.सी.''** से अभिप्रेत है उत्पादन केन्द्र की सभी इकाइयों की नाम पटिट्काओं पर अकिंत क्षमताओं का योग अथवा उत्पादन केन्द्र की क्षमता (जनरेटर टर्मिनलों पर आकंलित):
परंतु यह कि सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजनाओं और तैरती (फ्लोटिंग) सौर उर्जा परियोजनाओं के मामलो में स्थापित क्षमता, परियोजना के इनवर्टरों की नाम पटिट्काओं में अंकित क्षमताओं (प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति का अंकित मूल्य) का योग होगा;

न) **"अंतर–संयोजन बिंदु"** से अभिप्रेत है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सुविधा का पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली का अंतर–संयोजन बिंदु होगा, जैसी भी स्थिति हो :

i. पवन ऊर्जा परियोजनाओं और सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं, नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं और भंडारण परियोजनाओं के साथ नवीकरणीय

ऊर्जा के संबंध में, अंतर–संयोजन बिंदु, पूलिंग उपकेंद्र (Pooling Substation) के आउटगोइंग फीडर के एच.व्ही साईड पर लाईन आइसोलेटर होगा;

ii. लघु जल विद्युत, बायोमास/बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन विद्युत परियोजनाओं, और सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, अंतर–संयोजन बिंदुउत्पादन ट्रांसफार्मर की आउटगोइंग फीडर के एच.व्ही. साईड पर लाइन आइसोलेटर होगा;

प) **''अनुज्ञप्तिधारी''** से अभिप्रेत है राज्य में संचालनरत् कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी ;

फ) नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतो पर आधारित ताप उत्पादन केन्द्र के ईकाई के संबंध में, **''अधिकतम निरंतर रेटिंग''** या **''एम.सी.आर.''** से अभिप्रेत है जनरेटर टर्मिनलों पर अधिकतम निरंतर उतपादन, जो निर्धारित मापदंडों पर निर्माता द्वारा गारंटीकृत है;

ब) **''एम.एन.आर.ई.''** से अभिप्रेत है भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय;

भ) **''नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW)''** से अभिप्रेत है, और इसमें नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न वाणिज्यिक और आवासीय अपशिष्ट सम्मिलित हैं, जो ठोस अथवा अर्ध–ठोस रूप में होते हैं, जिसमें औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्ट सम्मिलित हैं;

म) **''सुक्ष्म/अतिसुक्ष्म जलीय''** से अभिप्रेत है **सुक्ष्म जलीय** विद्युत संयंत्रो के लिए 100 किलोवॉट तक और सुक्ष्म जलीय के लिए 101 किलोवॉट से 2 मेगावॉट तक की केन्द्र क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाएं;

य) **''गैर स्थिर विद्युत''** से अभिप्रेत है नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न विद्युत, जिसका घंटेदर घंटे परिवर्तन, धूप, बादल, हवा आदि जैसी प्राकृतिक लक्षणो पर निर्भर करता है, जिसका सटीक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है;

कक) **''गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन''** से अभिप्रेत है ऐसी प्रक्रिया, जिसमें बायोमास के उपयोग से एक से अधिक प्रकार की ऊर्जा (जैसे भाप और विद्युत) का एक साथ उत्पादन किया जाता है, परंतु यह परियोजना, सह–उत्पादन परियोजना होने की अर्हता प्राप्त कर सकती है, यदि वह विनियमन 4.3 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती है;

खख) **''परियोजना/संयंत्र''** से अभिप्रेत है ऐसा उत्पादन केन्द्र, जिसमें अंतर–संयोजन बिंदु तक निकासी प्रणाली शामिल है, और एक लघु जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, उत्पादन सुविधा के समस्त घटक शामिल हैं जैसे बांध, आगम जल परिचालक प्रणाली, विद्युत उत्पादन केन्द्र और योजना की समस्त उत्पादन इकाइयां, जैसी की विद्युत उत्पादन हेतु विभाजित की गई हो;

गग) **''पंप स्टोरेज जल परियोजना''** से अभिप्रेत है एक जल विद्युत परियोजना, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके निचले ऊंचाई वाले जलाशय से उच्च

ऊंचाई वाले जलाशय में पंप करके संभावित ऊर्जा के रूप में संग्रहित पानी के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करती है ;

घघ) **''अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (RDF)''** से अभिप्रेत है ठोस अपशिष्ट के दहनशील घटकों को सुखाने, पत्थर हटाने, टुकड़े करने, निर्जलीकरण और संघनित करने से उत्पन्न छर्रों या फुलाव के रूप में क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक के अलावा ठोस अपशिष्ट का पृथक दहनशील अंश, जिसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है;

ड.ड.) **''स्टोरेज के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना''** से अभिप्रेत है स्टोरेज के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का संयोजन या एक ही अंतर–संयोजन बिंदु पर स्टोरेज के साथ नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं का संयोजन, और इसमें पंप स्टोरेज जल परियोजना के साथ–साथ बैटरी ऊर्जा स्टोरेज प्रणाली भी शामिल हैं;

चच) **''नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र''** से अभिप्रेत है पारंपरिक विद्युत संयंत्रों के अलावा ऐसे विद्युत संयंत्र, जो केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से ग्रिड गुणवत्ता वाली विद्युत उत्पन्न करते हैं;

छछ) **''नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत''** से अभिप्रेत है नवीकरणीय स्त्रोतों जैसे जल, पवन, सौर ऊर्जा, जिसमें इनके समेकित चक्र का एकीकरण है, बायोमास, जैव ईंधन सह–उत्पादन, नगरी एवं नगर पालिका अपशिष्ट और अन्य ऐसे स्त्रोतों, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

जज) **''नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना''** से अभिप्रेत है ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, जो एक ही अंतर–संयोजन बिंदु पर जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के संयोजन से विद्युत उत्पादन करती है, जिसमें एक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत का अंश, समग्र स्थापित क्षमता को कम से कम 33 प्रतिशत होगा;

झझ) **अनुसूचित उत्पादन'' से अभिप्रेत है,** विद्युत उत्पादनकर्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य अनुबंधित किसी समय पर अथवा किसी कालखंड अथवा समय–अंतराल के लिए अंतर्संयोजन बिन्दु में उत्पादन की अनुसूचित मात्रा मेगावाट अथवा मिलियन यूनिट में;

ञञ) **''लघु जल परियोजना''** से अभिप्रेत है किसी एक स्थान पर, 2 मेगावाट से अधिक और 25 मेगावाट तक (25 मेगावाट की क्षमता सहित), या भारत सरकार द्वारा समय–समय पर परिभाषित संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना;

टट) **''सौर पी.व्ही. विद्युत''** से अभिप्रेत है सौर फोटोवोल्टीक विद्युत परियोजना, जो फोटोवोल्टीक प्रौद्योगिक के माध्यम से विद्युत में सीधे रूपांतरण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है और यह क्रिस्टलीय सिलिकॉन, पतली फिल्म या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रौद्योगिक पर आधारित है;

ठठ) **''सोलर तापीय विद्युत''** से अभिप्रेत है सौर तापीय विद्युत परियोजना, जो लाइन फोकस अथवा बिंदु फोकस सिद्धांत पर आधारित केंद्रित सौर विद्युत तकनीक के माध्यम से सीधे विद्युत में रूपांतरण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है;

डड) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

ढढ) **''राज्य नोडल एजेंसी''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभिहित किया गया है;

णण) **''स्टोरेज''** से अभिप्रेत है ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जो ठोस अवस्था बैटरी, प्रवाह बैटरी, पंप स्टोरेज, संपीड़ित हवा, ईंधन सेल, हाईड्रोजन स्टोरेज अथवा किसी अन्य तकनीक जैसी विधियों और तकनीकियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित करती है और संग्रहित ऊर्जा को विद्युत के रूप में वितरित करती है;

तत) **''उपयोगी जीवनकाल''** से अभिप्रेत है कि, किसी निकास प्रणाली सहित उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक से निम्नलिखित अवधि, जिसमें अर्थातः—

i.	पवन ऊर्जा विद्युत परियोजना	25 वर्ष
ii.	सुक्ष्म/अतिसुक्ष्म/लघु जल विद्युत संयंत्र	40 वर्ष
iii.	गैर–जीवाश्म ईंधन सह–उत्पादन	25 वर्ष
iv.	सौर पी.व्ही/फ्लोटिंग सौर संयंत्र/सौर तापीय विद्युत संयंत्र	25 वर्ष
v.	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट अथवा अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन आधारित विद्युत परियोजना	20 वर्ष
vi.	बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना	25 वर्ष
vii.	बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजना	25 वर्ष
viii.	नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना	संयुक्त टैरिफ के लिए नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना हेतु संयोजित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोगी जीवन का न्यूनतम।

ix.	स्टोरेज के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना	परियोजना के उपयोगी जीवन के समान, बशर्ते कि कोई स्टोरेज न हो।

थथ) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष ।

2.2 शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में प्रयुक्त है तथा परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा, जैसा कि अधिनियम में अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य विनियमों में उनके लिये समानुदेशित है।

3. प्रयोज्यता की परिधि तथा विस्तार

3.1 नवीन परियोजनाएं

I. ये विनियम ऐसी समस्त नवीकरणीय विद्युत, (एतस्मिनपश्चात् जिन्हें आर.ई. के रूप में संदर्भित किया गया है) परियोजनाओं को प्रयोज्य होंगे, जिन्होंने 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक वाणिज्यिक संचालन हेतु तिथि अर्जित कर ली है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित हैं और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को दीर्घ अवधि के लिए विद्युत आपूर्ति करता हो।

II. ये विनियम, उन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी लागू होंगे, जो विनियम 4 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं।

3.2 विद्यमान परियोजनाएं

बीस वर्ष या उससे अधिक की लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौते वाले मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 से पहले वाणिज्यिक संचालन की तिथि प्राप्त कर ली है, उन पर लागू टैरिफ, टैरिफ अवधि की पूरी अवधि के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर जारी संबंधित टैरिफ आदेशों द्वारा शासित होगा। हालांकि, ईंधन–आधारित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऊर्जा शुल्क इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

4. पात्रता मापदंड

01 अप्रैल, 2025 के बाद सी.ओ.डी. प्राप्त करने वाली निम्नलिखित परियोजनाएं, इन विनियमों के अंतर्गत पात्र होंगी:

4.1 **पवन ऊर्जा परियोजना** – नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करके नई पवन ऊर्जा परियोजनाएँ।

4.2 **जलविद्युत परियोजना –**

ंक) राज्य नोडल एजेंसी/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्थलों पर नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करते हुए नई सूक्ष्म/अतिसूक्ष्म/लघु जलविद्युत परियोजनाएं;

ख) 25 मेगावाट से अधिक बड़े जलविद्युत परियोजनाएं (एल.एच.पी.)।

4.3 **गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजना –** गैर जीवाश्म ईंधन आधारित नई सह–उत्पादन परियोजनाएं, इस परियोजना के रूप में अभिहित होने के लिए अर्ह होंगी, यदि वे नये संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हैं और परिभाषा के अनुरूप हैं।

4.4 **सौर पी.व्ही., फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं, सौर तापीय विद्युत परियोजनाएं, सौर रूफटॉप पी.व्ही. प्रणालियां –** केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाएं :

परंतु यह कि भूमि पर स्थापित सौर पी.व्ही. परियोजनाओं के अलावा मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ संस्थापित फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को, नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के रूप में माना जाएगा।

4.5 **नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (MSW) आधारित विद्युत परियोजनाएं –** ऐसी परियोजना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ठ आधारित विद्युत परियोजना के रूप में अभिहित होने के लिए अर्ह होंगी, यदि वे नये संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हैं और ईंधन स्त्रोंत के रूप में नगरपालिका ठोस अपशिष्ठ का उपयोग करती ह।

4.6 **बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना** – यह परियोजना को बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना कहा जाएगा, यदि इसमें नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है तथा इसमें ग्रिड से जुड़ी प्रणाली है, जो 100 प्रतिशत बायोगैस फायर इंजन का उपयोग करती है, तथा जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि अवशेषों, गोबर, पोल्ट्री अपशिष्ट, खाद और अन्य जैव अपशिष्ट के सह–पाचन के लिए बायोगैस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है।

4.7 **नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना –** परियोजना को नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना कहा जायेगा, यदि यह नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग कर रहा हैं और एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादन की निर्धारित क्षमता कुल स्थापित क्षमता का कम से कम 33 प्रतिशत है, जो एक ही अंतर्संयोजन बिंदु पर संचालित होती है :

परंतु यह कि ऊर्जा को ग्रिड में एक ही अंतर्संयोजन बिंदु पर अंतःक्षेपित किया जाए तथा मीटरिंग, ऐसे सामान्य अंतर्संयोजन बिंदु पर तदानुसार की जाए।

4.8 **बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजना –** यदि परियोजना में नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग किया गया है, तथा इसमें ग्रिड से जुड़ी प्रणाली है जो 100

प्रतिशत उत्पादक गैस इंजन का उपयोग करती है, तथा साथ ही इसमें केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित गैसीफायर प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है, तो परियोजना, बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजना कहलायेगा।

4.9 **भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना –** नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना कहलायेगा, यदि वह ऐसी परियोजना से उत्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा का आंशिक या पूर्ण उपयोग भंडारण सुविधा में ऊर्जा संग्रहित करने के लिए करती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के समान अंतर्संयोजन बिंदु पर जुड़ी हुई है।

अध्याय 1: सामान्य सिद्धांत

5. नियंत्रण अवधि अथवा पुनरीक्षण अवधि

इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि अथवा पुनरीक्षण अवधि 01 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होकर पांच वर्ष की होगी:

परंतु यह कि नियंत्रण अवधि के दौरान वाणिज्यिक संचालन की दिनांक प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन विनियमों के अनुसार निर्धारित टैरिफ, नीचे विनियम 6 में विनिर्दिष्ट संपूर्ण टैरिफ अवधि के दौरान प्रयोज्य होता रहेगा:

परंतु यह भी कि अगली नियंत्रण अवधि के लिए विनियमों में संशोधन पहले नियंत्रण अवधि के अंत से छः माह पहले किया जाएगा और जब तक अगली नियंत्रण अवधि के लिए विनियम अधिसूचित नहीं कर दिए जाते, पुनरीक्षित विनियमों के अनुसार समायोजनों के अध्यधीन रहते हुए, इन विनियमों के अनुसार टैरिफ मापदंड प्रयोज्य बने रहेंगे:

परंतु यह और भी कि इन विनियमों के अनुसार निर्धारित परियोजना–विशिष्ट टैरिफ, सम्पूर्ण टैरिफ अवधि के लिए लागू रहेगी।

परंतु यह और भी कि, मौजूदा संयंत्रों के लिए जिनका टैरिफ अवधि हेतु परियोजना–विशिष्ट टैरिफ के रूप में निर्धारित किया गया है, उनके लिए टैरिफ अवधि, नियंत्रण अवधि ही होगी।

6. टैरिफ अवधि

6.1 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं की टैरिफ अवधि, उसके उपयोगी जीवन काल जो कि विनियम 2.1(तत) में परिभाषित की गई है।

6.2 इन विनियमों के अधीन, टैरिफ अवधि, नवीकरणीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक से माना जाएगा।

6.3 इन विनियमों की धारा 6.1 और 6.2 के अनुसार, निर्धारित टैरिफ अवधि के लिए नवीनीकरण ऊर्जा विद्युत योजनाओं पर प्रायोज्य होंगे:

परंतु यह भी है कि, मौजूदा संयंत्रों जिनके लिए नियंत्रण अवधि, परियोजना–विशिष्ट टैरिफ निर्धारित किए गए है, उनके लिए टैरिफ अवधि, नियंत्रण अवधि ही होगी।

7. मूल टैरिफ (जेनरिक टैरिफ)

7.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में लघु जल विद्युत परियोजना, 0.5 मेगावॉट से 2 मेगावॉट क्षमता वाली सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजना, बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना और गैर जीवाश्म आधारित सहउत्पादन परियोजना हेतु आयोग मूल पूर्वता (जैनेरिक प्रिफरेन्शियल) टैरिफ निर्धारित करेगा।

7.2 मूल टैरिफ के विलम्ब होने की स्थिति में, संबंधित वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) टैरिफ, प्रावधिक टैरिफ होगाः

परंतु यह कि अंतर तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

8. परियोजना विशिष्ट टैरिफ

8.1 निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं के लिए प्रकरण–दर–प्रकरण आधार पर परियोजना विशिष्ट टैरिफ आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगाः

i. पवन ऊर्जा

ii. 25 मेगावाट से अधिक क्षमता का जल विद्युत संयंत्र

iii. भंडारण परियोजना के साथ नवीकरणीय ऊर्जा

iv. सौर तापीय

v. फ्लोटिंग सौर परियोजना

vi. 2 मेगावाट से अधिक के लिए सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजना

vii. रैंकाइन चक्र प्रौद्योगिकी के साथ अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन आधारित परियोजनाओं सहित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट परियोजनाएं

viii. नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाएं

ix. बायोमास गैसीफायर परियोजनाएं

x. कोई भी उत्पादन इकाई/केन्द्र, जो पुराने संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करके चालू किया गया हो ।

xi. इन विनियमों में पहचान की गई प्रौद्योगिकियों के अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य नवीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां;

xii. किसी भी परियोजना के लिए यदि अनुज्ञप्तिधारी/विकासकर्ता, परियोजना विशिष्ट टैरिफ चाहता हैः

परंतु यह कि 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले जलविद्युत संयंत्रों के लिए परियोजना–विशिष्ट टैरिफ निर्धारण के मानदंड, नियंत्रण अवधि के दौरान लागू सी.एस.ई.आर.सी. एम.वाई.टी. (CSERC MYT) विनियमों के अनुसार होंगे।

8.2 ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजना विशिष्ट टैरिफ का निर्धारण, विनियमों/आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

परंतु यह कि, किसी भी परियोजना के लिए जिसका परियोजना–विशिष्ट टैरिफ पिछले विनियमों के आधार पर निर्धारित किया गया है, उसका निर्धारित परियोजना–विशिष्ट टैरिफ परियोजना के उपयोगी जीवनकाल तक जारी रहेगा।

8.3 ऐसी परियोजनाओं के लिए जिन्हें इस विनियम के प्रारंभ होने से पूर्व, प्राविधिक टैरिफ प्रदान किए जा चुके है और जो सामान्य टैरिफ का विकल्प देते हैं, प्रावधिक टैरिफ के प्रति उत्पादक को भुगतान किया जा चुका है, उसका समायोजन राज्य सरकार को भुगतान किए गए वैधानिक प्रभारों को घटाकर छः बराबर किश्तों में किया जाएगाः

परंतु यह कि यदि ऐसी परियोजना, परियोजना विशिष्ट टैरिफ का विकल्प चुनती है, तो अर्जित राजस्व को परियोजना पर व्यय की गई पूंजीगत लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

8.4 परियोजना–विशिष्ट टैरिफ का निर्धारण, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार, पूंजीगत लागत को छोड़कर किया जाएगा, जिसकी सुसंगतता की जांच की जाएगी।

8.5 गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन/बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना तथा ईंधन लागत घटक वाली अन्य परियोजनाओं के मामले में, इनफर्म विद्युत की दर 1.0 रुपए प्रति किलोवाट घंटा होगी, जबकि अन्य परियोजनाओं के लिए, जिनमें ईंधन लागत घटक नहीं है, अस्थाई विद्युत की दर राज्य सरकार को वास्तव में भुगतान किए गए जल प्रभार, ड्यूटी और उपकर जैसे वैधानिक प्रभारों के बराबर होगीः

परंतु यह कि ऐसी इनफर्म विद्युत, अनुज्ञप्तिधारी की नवीकरणीय क्रय दायित्व की आवश्यकता के लिए अर्ह होगी।

8.6 परियोजनाओं को सामान्य टैरिफ से परियोजना–विशिष्ट टैरिफ की प्रणाली में स्विच करने (बदलने) की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब COD (वाणिज्यिक संचालन की तिथि) से 2 वर्ष की अवधि के भीतर इस बदलाव का विकल्प चुना जाए।

8.7 जिन संयंत्रों के लिए आयोग ने पूर्व में नियंत्रण अवधि हेतु परियोजना–विशिष्ट टैरिफ निर्धारित किया है, उनके लिए पूर्व निर्धारित टैरिफ ही जारी रहेगा और संशोधित टैरिफ की प्रयोज्यता आयोग के निर्देशानुसार होगी।

9. टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका और कार्यवाहीयाँ

9.1 आयोग, स्वप्रेरीत याचिका के आधार पर, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ होने से पहले उन नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए , जिनके लिए विनियमों के तहत मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हैं, मूल टैरिफ का निर्धारण करेगा;

9.2 परियोजना विशेष के टैरिफ की याचिका के साथ वैसा शुल्क दिया जाएगा, जैसा कि सुसंगत विनियमों में निर्धारित किया जाए और साथ में निम्नानुसार दिए जाएंगेः

i. यथास्थिति प्रपत्र 1.1, 1.2, 2.1 और 2.2 में जानकारी और इन विनियमों से यथा संलग्न;

ii. तकनीकी और संचालन विवरणों की रूपरेखा देते हुए परियोजना प्रतिवेदन, शील विशेष का पहलू, लागत पूंजी आधार और वित्तीय योजना आदि;

परंतु स्थापित परियोजनाओं के लिए, पिछला टैरिफ ऑर्डर पूँजीगत लागत और वित्तीय का आधार बनेगा।

परंतु आगे यह भी है कि, राज्य के स्वामित्व वाले उन उत्पादन संयंत्रों के लिए जो राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को 100 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं, आयोग, कानून में बदलाव/कानून के अनुपालन, प्रौद्योगिकी के अप्रचलन, किसी उपकरण/सिस्टम के उपयोगी जीवनकाल की समाप्ति के बाद उसके प्रतिस्थापन, उच्च सुरक्षा और संरक्षा की आवश्यकता, या किसी अन्य ऐसे कारण से जो आयोग विवेक जांच के बाद उचित समझे, 20 लाख रूपये से अधिक के अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति दे सकता है।

परंतु यह भी प्रावधान है कि, ऐसे अतिरिक्त पूंजीकरण पर आयोग द्वारा किसी भी अग्रिम भार अथवा सी.आई.पी अनुमोदन के बिना, उक्त कार्यों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, अगले नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय विचार किया जाएगा।

iii. सकल स्थिर परिसंपत्ति के पेटे लागत पूंजी के प्रमाण के तौर पर प्रेक्टिस कर रहे सनदी लेखापाल/लागत अंकेक्षक की ओर से प्रमाणपत्र जिसमें कोष, उधार, साम्या और यदि कोई हों तो सब्सिडी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए;

iv. समस्त प्रयोज्य शर्तों और दशाओं का विवरण और जिस अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण किया जाना है, उसके लिए अनुमोदित व्यय;

v. प्राप्त किसी सब्सिडी और प्रोत्साहन की गणना का पूरा ब्यौरा देते हुए विवरण, जिसमें केन्द्र सरकार और/या राज्य सरकार से शोध्य या शोध्य माने जा सकने वाली राशियॉ सम्मिलित की जाएं;

vi. सी.यू.एफ. डेटा से संबंधित डेटा को सम्मिलित करते हुए तकनीकी डेटा ;

vii. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से विद्युत क्रय के लिए लाभार्थी से सहमति, जब तक कि ऐसी आवश्यकता को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा छूट न दी गई हो; तथा

viii. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा परियोजना विशिष्ट टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज, जहां ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ आमतौर पर अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है:

i. प्रतिस्पर्धी बोली के बजाय परियोजना विशिष्ट टैरिफ को चुनने का औचित्य; तथा

ii. प्रस्तावित टैरिफ बनाम प्रतिस्पर्धी बोली/बाजार में प्रचलित टैरिफ के माध्यम से प्राप्त टैरिफ की प्रतिस्पर्धात्मकता;

ix. ऐसी अन्य जानकारी जो आयोग को याचिकाकर्ता की ओर से याचिका के निराकरण हेतु जमा करने के लिए आवश्यक हो;

9.3 टैरिफ निर्धारण की कार्यवाही, इस आयोग के व्यवसाय संचालन विनियमों के अनुसार होगी।

9.4 परियोजना विशिष्ट टैरिफ परियोजना के उपयोगी जीवन के लिए निर्धारित किया जाएगा और यह स्तरीकृत टैरिफ होगा।

10. टैरिफ संरचना

10.1 नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी हेतु टैरिफ, एकल–भाग टैरिफ होगा जिसमें निम्नलिखित निश्चित लागत घटक सम्मिलित होंगे:

I. इक्विटी पर प्रतिफल (Return on Equity);

II. ऋण पूंजी पर ब्याज (Intrest on Loan Capital);

III. मूल्यह्रास (Depreciation);

IV. कार्यशील पूंजी पर ब्याज (Intrest on Loan Capital);

V. संचालन और संधारण व्यय (Operation and Maintenance expenses):

परंतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रोद्योगिकियों के लिए, जिसमें ईंधन लागत का घटक शामिल है, जैसे बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजनाएं, बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाएँ और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियाजनाएं, तो दो घटकों के साथ एकल–भाग टैरिफ अर्थात् स्थिर लागत घटक और ईंधन लागत घटक निर्धारित किए जाएंगे।

11. टैरिफ डिजाईन

11.1 टैरिफ अवधि के लिए मूल टैरिफ का निर्धारण परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के वर्ष को विचार में लेते हुए स्तरीकृत (levellised) आधार पर किया जाएगा।

परंतु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए जिसमें दो घटक वाली टैरिफ शामिल हैं, टैरिफ का निर्धारण स्थिर लागत घटक के लिए परियोजना के वाणिज्यिक संचालन तिथि के वर्ष को विचार में लेते हुए स्तरीकृत आधार पर किया जाएगा, जबकि ईंधन लागत घटक को संचालन के वर्ष के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

11.2 स्तरीकृत टैरिफ के संगणना के उद्देश्य से कर उपरांत भारित औसत पूंजीलागत के समतुल्य डिस्काउन्ट फैक्टर विचार में लिया जाएगा।

11.3 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के लिए स्तरीकरण निकाला जाएगा।

परंतु, ऐसे नवीकरणीय विद्युत संयंत्र जैसा की विनियम 3.2(I) में विनिर्दिष्ट है और ऐसे संयंत्रों जिनका परियोजना विशिष्ट टैरिफ निर्धारित हो चुका है, के लिए कोई टैरिफ का स्तरीकृत नहीं किया जाएगा और परियोजना विशिष्ट टैरिफ नियंत्रण अवधि के लिए निर्धारित किया जाना जारी रहेगा।

11.4 यदि किसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना द्वारा, किसी वर्ष में, इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सी.यू.एफ. या पी.एल.एफ. से अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना द्विपक्षीय या सामूहिक लेन–देन के तहत बाजार में ऐसी अतिरिक्त ऊर्जा को बेच सकती है, परंतु यह कि ऐसी अतिरिक्त ऊर्जा के लिए इंकार करने का पहला अधिकार संबंधित लाभार्थी के पास होगा :

परंतु यह कि यदि संबंधित लाभार्थी, अतिरिक्त ऊर्जा क्रय करता है, तो ऐसी अतिरिक्त ऊर्जा के लिए टैरिफ, उस वर्ष के लिए लागू टैरिफ के बराबर होगी।

12. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए प्रेषण सिद्धांत

12.1 समस्त नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को 'अवश्य चलने वाले' (Must-run) विद्युत संयंत्र के रूप में माना जाएगा और उन पर गुणताक्रम प्रेक्षण सिद्धांत (Merit order dispatch principle) लागू नहीं किया जाएगा।

12.2 विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी विनियम में निहित होते हुए भी, बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजनाओं, बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाएं, गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाएं, तथा भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को छोड़कर सभी नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुसूचीकरण (Scheduling) और विचलन निपटान (Deviation Settlement) के अध्यधीन नहीं होंगी, किंतु ग्रिड परिचालन के प्रयोजनों के लिए समय–निर्धारण के अध्यधीन होंगी:

परंतु यह कि राज्य के भीतर एक से अधिक लाभार्थियों को विद्युत आपूर्ति के मामले में, अनुसूचीकरण (Scheduling) और विचलन निपटान (Deviation Settlement) लागू होगा।

परंतु आगे यह भी प्रावधान है कि, राज्य के स्वामित्व वाले जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों को अनुसूचीकरण और विचलन निपटान से छूट दी जाएगी, क्योंकि इन जलविद्युत स्टेशनों से पानी का डिस्चार्ज राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विनियमित किया जाता है।

अध्याय 2: वित्तीय सिद्धांत

13. पूंजीगत लागत

13.1 पश्चातवर्ती प्रौद्योगिकी विशिष्ट अध्यायों में यथा विनिर्दिष्ट पूंजीगत लागत के मानदण्डों में समस्त केन्द्रीय कार्यो का समावेश होगा जिसमें, भूमि लागत, संयंत्र और मशीन, सिविल कार्य प्रतिष्ठापन और संचालन, वित्त पोषण लागत, प्रारंभिक और संचालन पूर्व के व्यय, निर्माण के दौरान ब्याज और अंतर्संयोजन बिन्दु तक इवेक्यूएशन अधोसंरचना सम्मिलित है।

परंतु, परियोजना विशिष्ट टैरिफ के निर्धारण हेतु उत्पादन कंपनी पूंजीगत लागत का खण्डवार विवरण अपनी याचिका के साथ विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से करेगी।

13.2 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु पूंजीगत लागत संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए वही होगी जो नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट की जावे, बशर्ते की आयोग द्वारा उसकी समीक्षा न की गई हो।

13.3 राज्य के स्वामित्व वाले उन उत्पादन संयंत्रों के परियोजना–विशिष्ट टैरिफ के मामले में, जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को 100 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति करते हैं, उत्पादन कंपनी द्वारा वास्तव में किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण को विस्तृत औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु यह कि, आयोग विवेक जांच के बाद पहले से अनुमोदित पूंजीगत लागत की समीक्षा की अनुमति दे सकता है।

14. ऋण इक्विटी अनुपात

14.1 मूल टैरिफ के स्वतः निर्धारण के लिए, ऋण इक्विटी अनुपात 70:30 विचारणीय होगा।

14.2 परियोजना विशिष्ट टैरिफ के लिए, यदि वस्तुतः लगायी गई इक्विटी पूंजीगत लागत की 30 प्रतिशत से अधिक है तो 30 प्रतिशत से अधिक होनी वाली इक्विटी को प्रतिमानकीय ऋण के रूप में माना जाएगा ।

परंतु, जहॉ वास्तव में लगायी गई पूंजी, पूंजीगत लागत की 30 प्रतिशत से कम है वहॉ वास्तविक इक्विटी को टैरिफ के निर्धारण हेतु विचार में लिया जाएगा;

परंतु, यह और भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित ऋण/इक्विटी को प्रत्येक निवेश की दिनांक पर भारतीय रूपयों में वे नामांकित/पदांकित किया जाएगा।

परंतु, यह भी कि ऋण और इक्विटी की राशि आंकलन करते समय उस परियोजना हेतु प्राप्त अनुदान की राशि अथवा पूंजीगत सब्सिडी को विकसित कर ऋण तथा अंश का अनुपात विचार में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – परियोजना हेतु धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंश पूंजी तथा अपने मुक्त संचय (फ्री रिजर्व) में से निर्मित आंतरिक स्त्रोतों का निवेश जारी करते समय उत्पादन कंपनी द्वारा मांगा गया कोई प्रीमियम, अंश पूंजी पर वापसी की गणना करने के उद्देश्य से प्रदत्त पूंजी के रूप में मान्य किया जाएगा, यदि ऐसे प्रीमियम की राशि और आंतरिक स्त्रोतों वास्तव में उस नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग में लाए गए हों।

14.3 परियोजना उत्पादक, आंतरिक स्त्रोंतों से प्राप्त होने वाली पूँजी के निवेश के संबंध में नवीकरणी ऊर्जा परियोजना पर किये गये या करने हेतु प्रस्तावित पूँजीगत व्यय के समर्थन में कंपनी के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव तथा अन्य प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रस्तुत करेगा।

15 ऋण पर ब्याज और वित्त प्रभार

15.1 टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से 15 वर्ष की ऋण/कर्ज अवधि पर विचार किया जाएगा।

15.2 विनियम 14 के अनुसार लिए गए ऋण/कर्ज को ऋण पर ब्याज की गणना के लिए सकल मानक ऋण माना जाएगा :

परंतु यह कि हर वर्ष के 01 अप्रैल को बकाया मानक ऋण की गणना सकल मानक ऋण से पूर्व वर्ष की 31 मार्च तक की संचयी पुर्नअदायगी को घटाकर की जाएगी ।

15.3 टैरिफ की संगणना के उद्देश्य से प्रतिमानकीय ब्याज दर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेतु टैरिफ निर्धारण के पूर्ववर्ती छः महिने को प्रचलित सीमांत लागत आधारित उधार दर (MCLR) (1 वर्ष अवधि) से 200 आधार अंकों (basis point) के रूप में विचारणीय होगी।

15.4 उत्पादन कंपनी द्वारा ली गई किसी स्थगन अवधि के होते हुए भी ऋण का पुनर्भुगतान परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के पहले वर्ष से विचार में लिया जाएगा और अनुमत किए गए वार्षिक मूल्यह्रास के बराबर होगा।

16 मूल्यह्रास

16.1 मूल्यह्रास के उद्देश्य से मूल्य आधार, आयोग द्वारा अनुमत की गई परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत होगी।

16.2 परिसंपत्तियों का अवशेष मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा मूल्यह्रास, परिसंपत्तियों की पूंजीलागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमत होगा।

16.3 टैरिफ अवधि के प्रथम 15 वर्षो के लिए मूल्यह्रास की दर 4.67 प्रतिशत वार्षिक की रहेगी और शेष मूल्यह्रास को 16वें वर्ष के बाद से परियोजना की शेष उपयोगी जीवन अवधि के दौरान 'सीधी रेखा' विधि से विस्तारित किया जाएगा।

16.4 मूल्यह्रास वाणिज्यिक संचालन के पहले वर्ष से प्रभारणीय होगाः

परंतु, परियोजना विशिष्ट टैरिफ के निर्धारण के लिए वाणिज्यिक संचालन के प्रकरण में मूल्यह्रास अनुपातिक (प्रोरेटा) आधार पर प्रभारित होगा।

16.5 परियोजना के लिए प्राप्त अनुदान या पूंजी सब्सिडी की सीमा तक मूल्यह्रास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17 इक्विटी पर प्रतिफल

17.1 इक्विटी के लिए मूल्य आधार, पूंजी लागत या वास्तविक इक्विटी (परियोजना विशिष्ट टैरिफ निर्धारण के मामले में) का 30 प्रतिशत होगा, जैसा कि विनियम 14 के तहत निर्धारित किया गया है।

17.2 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मानक इक्विटी पर प्रतिफल, 14 प्रतिशत होगा, तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 15 प्रतिशत होगा, जो टैरिफ अवधि के पहले 20 वर्षों के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित न्यूनतम वैकल्पिक कर दर द्वारा, तथा शेष टैरिफ अवधि के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित कॉर्पोरेट कर दर द्वारा, सकल किया जाएगा।

परंतु यह कि, उन संयंत्रों के संबंध में, जिनके लिए कंपनी द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक आयकर लागू एम.वाई.टी. (MYT) विनियमों या पारंपरिक संयंत्रों के लिए टैरिफ आदेशों के माध्यम से एक समग्र कंपनी के रूप में अलग से वसूल करने की अनुमति दी गई है, उनके लिए इक्विटी पर प्रतिलाभ के साथ एम.ए.टी. (MAT) का सकलकरण लागू नहीं होगा।

18 कार्यशील पूंजी पर ब्याज

18.1 पवन ऊर्जा परियोजनाओं, लघु जल विद्युत, सौर पी.व्ही., फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं, सौर ताप विद्युत परियोजनाओं, आर.डी.एफ. आधारित परियोजनाओं सहित एम.एस.डब्ल्यू. परियोजनाओं, तथा भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में कार्यशील पूंजी आवश्यकता की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

I. एक माह के लिए संचालन और संधारण व्यय;

II. मानक पी.एल.एफ. या सी.यू.एफ. पर गणना की गई विद्युत के विक्रय के लिए 45 दिनों के ऊर्जा शुल्क के बराबर प्राप्य, जैसी भी स्थिति हो ;

III. संचालन और संधारण व्यय के 15 प्रतिशत की दर से संधारण अतिरिक्त (स्पेयर);

18.2 बायोगैस आधारित परियोजनाओं, बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजनाओं और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना निम्नलिखित अनुसार की जाएगीः

I. चार माह के लिए ईंधन लागत मानक पी.एल.एफ. के बराबर;

II. एक माह के लिए संचालन और संधारण व्यय;

III. लक्ष्य पी.एल.एफ. पर गणना की गई विद्युत के विक्रय के लिए 45 दिनों के स्थिर और परिवर्तनीय शुल्क के बराबर प्राप्य;

IV. संचालन और संधारण व्यय के 15 प्रतिशत की दर से संधारण अतिरिक्त (स्पेयर);

18.3 नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, परियोजना में उनकी निर्धारित क्षमता के अनुपात में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए लागू मानदंडों के अनुसार निर्धारित कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का योग होगी।

18.4 कार्यशील पूंजी पर ब्याज, टैरिफ के निर्धारण के लिए पिछले उपलब्ध छः माहों के दौरान प्रचलित औसत भारतीय स्टेट बैंक एम.सी.एल.आर. (एक वर्ष की अवधि) से तीन सौ पच्चीस (325) आधार अंकों से अधिक की मानक ब्याज दर के समतुल्य ब्याज दर पर होगा।

19 संचालन और संधारण व्यय

19.1 संचालन और संधारण व्ययों में मरम्मत और रख–रखाव, कर्मचारियों पर व्यय सहित स्थापना, और प्रशासनिक तथा बीमा सहित सामान्य व्यय सम्मिलित होंगे।

19.2 संचालन और संधारण व्ययों का निर्धारण टैरिफ अवधि के लिए आयोग द्वारा इन विनियमों के बाद नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों के आधार पर होगा।

19.3 इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26) के पहले वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय टैरिफ अवधि के लिए 5.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

20 छूट

उत्पादक कम्पनी के बिलों का भुगतान साख पत्र के माध्यम से या प्रस्तुतीकरण पर या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एन.ई.एफ.टी.) या वास्तविक समय सकल निपटान (आर.टी.जी.एस.) भुगतान मोड के माध्यम से बिल प्रस्तुतीकरण के 7 दिनों की अवधि के भीतर करने पर, बिल राशि पर 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।

21 विलंबित भुगतान अधिभार

जब तक किसी अन्य आदेश के माध्यम से, विशेष रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, यदि इन विनियमों के तहत देय शुल्कों के किसी भी बिल के भुगतान में बिल प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों की अवधि से अधिक का विलंब होता है, तो विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथा संशोधित विद्युत (विलंब भुगतान

अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 में विनिर्दिष्ट अनुसार विलंब भुगतान अधिभार, उत्पादन कंपनी द्वारा उद्ग्रहित किया जाएगा।

22 संचालन के प्रतिमान और मानदंड का सीलिंग मानदंड होना

इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए प्रतिमान और मानदण्ड सीलिंग मानदण्ड हैं और किसी परियोजना उत्पादक अथवा हितग्राही को सुधरे हुए संचालन प्रतिमानों से सहमत होने के लिए निवारित् नहीं करेंगे और जहॉ सुधरे हुए प्रतिमानों पर सहमति होगई है वहॉ ऐसे सुधरे हुए प्रतिमान/मानदण्ड परियोजना विशिष्ट टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

23 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी अथवा प्रोत्साहन

23.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन परियोजना विशिष्ट टैरिफ का निर्धारण करते समय उत्पादन कंपनी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के विद्युत संयंत्रों के लिए ली जा रही केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी पूंजीगत सब्सीडी/प्रोत्साहन/अनुदान को विचार में लिया जाएगा;

परंतु, जहॉ केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी अधिसूचना में विशिष्टताः कोई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन टैरिफ बढ़कर प्रावधानित है, वहॉ उसे टैरिफ का निर्धारण करते समय कारक नहीं बनाया जाएगा।

23.2 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना द्वारा प्राप्त कोई अनुदान, सब्सिडी अथवा प्रोत्साहन, जिस पर टैरिफ निर्धारण के समय विचार नहीं किया जाता है, लाभार्थी द्वारा ऐसे अनुदान, सब्सिडी अथवा प्रोत्साहन प्राप्त होने के बाद, उपयुक्त किस्तों में, या आयोग द्वारा यथा निर्धारित अवधि के भीतर, अनुवर्ती बिलों में कटौती की जाएगी।

24 उपकर, शुल्क और जल प्रभार/वैधानिक प्रभार

24.1 इन विनियमों के अधीन निर्धारित टैरिफ में समुचित सरकार द्वारा यथाप्रभारित उत्पादन, सहायक खपत और विद्युत विक्रय पर उपकर और शुल्क सम्मिलित नहीं होंगे।
परंतु, समुचित सरकार द्वारा प्रभारित उपकर और शुल्क वास्तव में वहन किए गए आधार पर पासथ्रु के रूप में अनुमत होंगे।

24.2 जल विद्युत परीयोजनाओं के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वसूल किए गए जल प्रभारों को टैरिफ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इनका भुगतान पृथक से किया जाना है और उन्हें वास्तविक वहन किए गए आधार पर पासथ्रु (pass through) कर दिया जाएगा।

अध्याय 3 : पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड

25. पूंजीगत लागत

25.1 पवन ऊर्जा परियोजना के लिए पूंजीगत लागत में इसके सहायक उपस्करों सहित विन्ड टारबाईन जनरेटर, भूमि का मूल्य, स्थल विकास प्रभार और अन्य सिविल कार्य, परिवहन प्रभार, अंतर्संयोजन बिन्दु तक निकासी लागत, वित्तीय प्रभार और आई.डी.सी. सम्मिलित होंगे।

25.2 पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, प्रचलित बाजार के प्रवृत्ति के अनुसार, आयोग केवल परियोजना विशेष पूंजीगत लागत और टैरिफ निर्धारित करेगा।

26. क्षमता उपयोगिता कारक (सी.यू.एफ.)

26.1 इस नियंत्रण अवधि के लिए सी.यू.एफ. मानदंड निम्नानुसार होंगे ;–

वार्षिक औसत पवन ऊर्जा घनत्व (W/M^2)	सी.यू.एफ.
220 तक	22%
221–275	24%
276–330	28%
331–440	33%
>440	35%

26.2 उपयुक्त विनियम 26.1 में विनिर्दिष्ट वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व 100 मीटर की हब ऊंचाई पर नापा जाएगा।

26.3 पवन ऊर्जा परियोजना के विशिष्ट क्षेत्र श्रेणी में वर्गीकरण प्रयोजन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा–निर्देशानुसार पवन मास्ट या तो एन.आई.डब्ल्यू.ई. द्वारा लगाया जाएगा अथवा किसी निजी विकासकर्ता द्वारा लगाया जाएगा और उसका वैधिकरण राष्ट्रीय पवन उर्जा संस्थान (एन.आई.डब्ल्यू.ई.) द्वारा एकसार भू–भाग के लिए मास्ट–प्वांइट से सभी दिशाओं में सामान्यतः 10 किलो मीटर तक विस्तारित किया जाएगा और जटिल भू–भाग में स्थल की जटिलता को देखते हुए समुचित दूरी तक सीमित रखा जाएगा।

26.4 इस प्रकार एन.आई.डब्ल्यू.ई. द्वारा वैधीकरण के आधार पर राज्य संपर्क अभिकरण को प्रस्तावित विन्ड फार्म संकुल के जोन को प्रमाणित किया जाएगा।

27. संचालन और संधारण व्यय

27.1 प्रचलित बाजार के जानकारी के अनुसार, आयोग केवल परियोजना विशिष्ट संचालन और संधारण निर्धारित करेगा।

अध्याय 4: लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड

28. पूंजीगत लागत

28.1 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात् वर्ष 2025–26) के दौरान प्रतिमानकीय पूंजीगत लागत निम्नानुसार होगीः

परियोजना का आकार	पूंजीगत लागत (रु. लाख/मेगावाट)
5 मेगावाट तक	890
5 मेगावाट से अधिक 25 मेगावाट तक	1027

28.2 इसमें विद्युत की निकासी के लिए वितरण/पारेषण लाईनों को बिछ़ाने की लागत भी सम्मिलित हैं।

28.3 01 अप्रैल, 2025 के पूर्व वाणिज्यिक संचालन की दिनांक प्राप्त करने वाले लघु जल विद्युत संयंत्रों की पूंजीगत लागत आयोग के संबंधित अनुमोदित आदेशों से शासित होगी ।

29. क्षमता उपयोगिता कारक (सी.यू.एफ.)

29.1 मूल टैरिफ के निर्धारण के लिए लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए क्षमता उपयोगिता कारक 30 प्रतिशत रहेगा।

29.2 परियोजना विशिष्ट टैरिफ के लिए, क्षमता उपयोगिता कारक, आयोग द्वारा प्रकरणवार आधार पर अभिनिश्चित किया जाएगा।

30. सहायक खपत

लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिमानकीय सहायक खपत 1.0 प्रतिशत होगी।

31. संचालन और संधारण व्यय

31.1 नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात वित्त वर्ष 2025–26) के प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय निम्नानुसार होंगेः

परियोजना का आकार	ओ एवं एम व्यय (रु. लाख/मेगावाट)
5 मेगावाट तक	41.74
5 मेगावाट से अधिक 10 मेगावाट तक	35.41
10 मेगावाट से अधिक 25 मेगावाट तक	30.23

31.2 इन विनियमों के अधीन अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय का परिवर्धन 5.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से टैरिफ अवधि हेतु किया जाएगा।

32 सूक्ष्म/अतिसूक्ष्म जलविद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ

सूक्ष्म/अतिसूक्ष्म (मिनी/माइक्रो) जल विद्युत परियोजनाओं हेतु टैरिफ, रूपये 0.50/किलोवॉट घंटा अथवा अन्य उच्चतर राशि जिसे आयोग लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु समय–समय पर मूल प्रयोज्य टैरिफ के रूप में अभिनिश्चित करे, से अधिक होगा।

परंतु यह कि, ऐसे उत्पादक/अनुज्ञप्तिधारियों के लिए प्रयोज्य नहीं होगा जो परियोजना विशिष्ट टैरिफ का विकल्प देते हैं और नहर आधारित परियोजनाओं पर भी प्रयोज्य नहीं होगा।

अध्याय 5: गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड

33. प्रौद्योगिकी पहलू

कोई परियोजना एक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियेाजना के रूप में अर्हित होगी, यदि वह विनियम 4.3 के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताकारी मानदण्ड के अनुरूप होगी।

34. पूंजीगत लागत

गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिए प्रतिमानकीय पूंजीलागत, नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26) हेतु 562 लाख रुपये प्रति मेगावाट विचार में ली जाएगी।

35. क्षमता उपयोगिता कारक

35.1 निश्चित प्रभार निर्धारित करने के प्रयोजन से गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं का संयंत्र भार कारक नीचे विनियम 35.2 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अनुसार और 92 प्रतिशत के भार कारक पर पैराई मौसम (क्रसिंग सीजन) और गैर मौसम के दौरान संचालन दिवसों में संयंत्र की उपलब्धता के आधार पर संगणित किया जाएगा।

35.2 परिचालन दिवसों की संख्या निम्नानुसार होगी:

परिचालन दिवस	संयंत्र भार कारक (%)
90 दिन (क्रसिंग) + 60 दिन (ऑफ–सीजन) = 150 दिन परिचालन दिन	38%

36. सहायक खपत

टैरिफ के निर्धारण के लिए सहायक विद्युत खपत 8.5 प्रतिशत की होगी।

37. स्टेशन उष्मा दर

गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के टैरिफ निर्धारण की संगणना के लिए अकेले विद्युत उत्पादन घटक हेतु विचारणीय स्टेशन ऊष्मा दर 3600 किलो कैलोरी/किलोवॉट घंटा की रहेगी।

38. कैलोरी मान

बैगास के लिए सकल कैलोरी मान 2250 किलोकैलोरी प्रति किलो ग्राम माना जाएगा:

परंतु यह कि बैगास के अलावा बायोमास ईंधन के उपयोग के लिए, कैलोरी मान 3100 किलोकैलोरी प्रति किलो ग्राम माना जाएगा।

39. ईंधन लागत

39.1 नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26) हेतु बैगास का मूल्य रूपये 2817 प्रति मीट्रिक टन होगा और उसके उपरांत नियंत्रण अवधि के परवर्ती वर्षो के लिए आधार मूल्य के लिए 3.45 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

39.2 गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं में बैगास के अलावा अन्य बायोमास के उपयोग के लिए, 4407 रूपय प्रति मैट्रिक टन बायोमास मूल्य माना जाएगा।

39.3 स्तरीकृत टैरिफ निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए, बैगास/बायोमास के मूल्य पर 3.45 प्रतिशत प्रति वर्ष का मानक वृद्धि कारक लागू होगा।

40. संचालन और संधारण व्यय

40.1 टैरिफ अवधि के पहले वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26) के लिए प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय रूपये 30.42 लाख प्रति मेगावॉट होगा।

40.2 इन विनियमों के अधीन टैरिफ अवधि के प्रारंभ में अनुमत किए गए प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों को 5.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

अध्याय 6: सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड

41. प्रौद्योगिकी पहलू

41.1 इन विनिमयों के अधीन सौर पी.व्ही. विद्युत के लिए प्रतिमानक ग्रिड संयोजित पी.व्ही. प्रणालियों जो सीधे सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं और जो नवीन और केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रौद्योगिकियों कों जैसे – क्रिस्टलाईन सिलीकॉन अथवा पतली फिल्म आदि पर आधारित हैं, पर प्रयोज्य अनुसार होंगे।

41.2 आयोग सौर पी.व्ही. परियोजनाएं जिनकी क्षमता 0.5 मे.वा. से 2 मे.वा. है उसका मूल टैरिफ निर्धारित करेगा और 2 मे.वा से अधिक की परियोजना के लिए परियोजना विशिष्ट टैरिफ निर्धारित करेगा।

42. पूंजीगत लागत

42.1 0.5 मे.वा. से 2 मे.वा. सौर पी.व्ही. परियोजनाओं के लिए प्रतिमानकीय पूंजीगत लागत नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26) हेतु रूपये 3.5 करोड़ प्रति मेगा वाट विचार में ली जाएगी।

42.2 सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजना, जिन्होंने 01 अप्रैल, 2025 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन दिनांक प्राप्त कर लिया है, कि पूंजीगत लागत आयोग द्वारा संबंधित अनुमोदित आदेशों के माध्यम से, इन आदेशों के प्रवर्तन तक शासित होगी।

43. क्षमता उपयोगिता कारक

सौर पी.व्ही. परियोजना के लिए क्षमता उपयोगिता कारक 21 प्रतिशत होगाः

परंतु यह कि आयोग, विनियम 7 और विनियम 8 के अनुसरण में परियोजना विशिष्ट टैरिफ निर्धारण के मामले में उपरोक्त मानदंड से विचलन कर सकता है।

44. संचालन और संधारण व्यय

44.1 संचालन के प्रथम वर्ष हेतु संचालन और संधारण व्यय 9.26 लाख रुपए प्रति मेगावाट होगा।

44.2 इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ अवधि के प्रारंभ में अनुमत प्रतिमानकिय संचालन और संधारण व्यय को 5.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

45. सहायक खपत

सहायक खपत कारक सकल उत्पादन का 0.25 प्रतिशत होगाः

परंतु यह कि आयोग, विनियम 7 और विनियम 8 के अनुसरण में परियोजना विशिष्ट टैरिफ निर्धारण के मामले में, उपर्युक्त मानदंड से विचलन कर सकता हैं।

अध्याय 7: तापीय विद्युत परियोजनाओं/फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड

46. प्रौद्योगिकी पहलू

46.1 इन विनियमों के अधीन सौर ताप विद्युत के लिए प्रतिमानक सांद्र सौर विद्युत तकनीकों नामतः रेखिक केन्द्रण (फोकसिंग) अथवा बिन्दु केन्द्रण, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित और सीधे सूर्य के प्रकाश को उपयोग में लाकर इसे कई गुना सांद्र करते हुए ऊर्जा के उच्चतर घनत्व को प्राप्त करती हैं और इस प्रकार उच्चतर तापमान और उससे उत्पन्न ताप का उपयोग पारंपरिक विद्युत साईकल को चलाने में करते हैं जिससे विद्युत का उत्पादन होता है, पर प्रयोज्य होंग।

46.2 इन विनियमों के अधीन फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के लिए मानदंड, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनुसार सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजना के लिए लागू होंगे, जहां परियोजना की संरचना पर फोटोवोल्टिक पैनलों की श्रृंखलाये, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित फ्लोटर, एंकरिंग और मूरिंग प्रणाली की सहायता से, कृत्रिम बेसिन या झील जैसे जल निकाय के ऊपर तैरती हैं ।

47. पूंजीगत लागत

सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं/फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के लिए, प्रचलित बाजार के प्रवृत्ति के अनुसार, आयोग केवल परियोजना विशिष्ट पूंजीगत लागत और टैरिफ निर्धारित करेगा।

48. क्षमता उपयोगिता कारक

सौर तापीय परियोजना के लिए क्षमता उपयोगिता कारक 23 प्रतिशत होगा, और फ्लोटिंग सौर परियोजना के लिए सी.यू.एफ. 19 प्रतिशत होगा।

49. संचालन और संधारण व्यय

सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं/फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के लिए, प्रचलित बाजार के प्रवृत्ति के अनुसार, आयोग केवल परियोजना विशिष्ट संचालन और संधारण व्यय निर्धारित करेगा।

50. सहायक खपत

सौर तापीय परियोजना के लिए सहायक खपत कारक 10 प्रतिशत होगा, और फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के लिए 0.25 प्रतिशत होगा।

अध्याय 8: रेनकाईन साईकिल तकनीक पर आधारित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) आधारित विद्युत परियोजनाओं/कचरा निष्पन्न ईंधन (RDF) आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशिष्ट प्रतिमान

51. प्रौद्योगिकी पहलू

यहां विनिर्दिष्ट टैरिफ निर्धारण के मानदण्ड ऐसी विद्युत परियोजनाओं के लिए हैं जो नगरीय ठोस अपशिष्ट और कचरा निष्पन्न ईंधन का उपयोग करते है और जो रेनकाईन साईकिल तकनीक से दहन या ज्वलन, बायोमिथेनेशन, पायरोलिसिस और उच्चतर स्तर की गैसीफायर प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं।

52. पूंजीगत लागत

नगरपालिक ठोस अपशिष्ट और कचरा निष्पन्न ईंधन विद्युत परियोजनाओं के लिए, प्रचलित बाजार के प्रवृत्ति के अनुसार, आयोग केवल परियोजना विशेष पूंजीगत लागत और टैरिफ निर्धारित करेगा।

53. संयंत्र भार कारक

53.1 टैरिफ के निश्चित प्रभार घटक का निर्धारण करने के लिए थ्रेसहोल्ड संयंत्र भार कारक निम्नानुसार होगा–

अ) स्थिरिकरण के दौरान– 65 प्रतिशत

ब) प्रथम वर्ष की शेष अवधि के दौरान (स्थिरिकरण के बाद)– 65 प्रतिशत

स) दो वर्ष के पश्चात् – 75 प्रतिशत नगरपालिक ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं के लिए और 80 प्रतिशत कचरा निष्पन्न ईंधन परियोजनाओं के लिए

53.2 स्थिरिकरण की अवधि परियोजना के चालू होने की तिथि से छः महिने से अधिक नही होगी

54. सहायक खपत

54.1 एम.एस.डब्ल्यू. और आर.डी.एफ. विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायक विद्युत खपत 15 प्रतिशत होगी।

55. संचालन और संधारण व्यय

55.1 नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए मानक संचालन और संधारण व्यय, एम.एस.डब्ल्यू. और आर.डी.एफ. आधारित विद्युत परियोजना की पूंजीगत लागत का 8.5 प्रतिशत होगा।

55.2 इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ अवधि के प्रारंभ में अनुमत मानक संचालन और संधारण व्यय में 5.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

अध्याय 9: बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड

56. पूंजीगत लागत

बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिमानकीय पूंजीगत लागत नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26) हेतु रूपये 1354 लाख प्रति मेगावॉट विचार में ली जाएगी।

57. संयंत्र भार कारक

टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन के लिए संयंत्र भार कारक को 90 प्रतिशत माना जाएगा।

58. सहायक खपत

टैरिफ निर्धारण के लिए सहायक खपत को 12 प्रतिशत के रूप में विचार किया जाएगा।

59. संचालन और संधारण व्यय

59.1 नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात वित्तीय वर्ष 2025–26) हेतु प्रतिमानक संचालन और संधारण व्यय रूपये 76.04 लाख प्रति मेगावॉट होंगे।

59.2 टैरिफ अवधि के प्रारंभ होने पर अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों को नियंत्रण अवधि के परवर्ती वर्षो के लिए 5.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

60. विशिष्ट ईंधन खपत

विशिष्ट ईंधन खपत का प्रतिमान आधारभूत सामग्री का मिश्रण का प्रति किलोवॉट घंटा हेतु 3 किलोग्राम होगा।

61. ईंधन लागत (फीड स्टॉक मूल्य)

61.1 नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26) हेतु ईंधन का मूल्य रूपये 1761 प्रति मीट्रिक टन होगा और उसके उपरांत नियंत्रण अवधि के परवर्ती वर्षो के लिए आधार मूल्य के लिए 3.45 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा, जब तक कि आयोग द्वारा विशेष रूप से इसकी समीक्षा न की जाए।

61.2 स्तरीकृत (levellised) टैरिफ का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए, 3.45 प्रतिशत वार्षिक का प्रतिमानकीय परिवर्धन कारक प्रयोज्य होगा।

अध्याय 10: बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड

62. पूंजीगत लागत

बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिमानकीय पूंजीगत लागत नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26) हेतु रूपये 677 लाख प्रति मेगावॉट विचार में ली जाएगी।

63. संयंत्र भार कारक

टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन के लिए संयंत्र भार कारक को 85 प्रतिशत माना जाएगा।

64. सहायक खपत

टैरिफ निर्धारण के लिए सहायक खपत को 10 प्रतिशत के रूप में विचार किया जाएगा।

65. विशिष्ट ईंधन खपत

विशिष्ट ईंधन खपत का प्रतिमान 1.25 किलोग्राम प्रति किलोवॉट घंटा हेतु होगा।

66. संचालन और संधारण व्यय

66.1 नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात वित्तीय वर्ष 2025–26) हेतु प्रतिमानक संचालन और संधारण व्यय रूपये 76.04 लाख प्रतिमेगावॉट होंगे।

66.2 टैरिफ अवधि के प्रारंभ होने पर अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों को नियंत्रण अवधि के परवर्ती वर्षो के लिए 5.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

67. ईंधन लागत

67.1 नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात वित्त वर्ष 2025–26) के लिए जीवाश्म ईंधन का मूल्य 4407 रुपये प्रति मीट्रिक टन होगा।

67.2 नियंत्रण अवधि के आगामी वर्षों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु बायोमास ईंधन के मूल्य में 3.45 प्रतिशत की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

अध्याय 11: नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड

68. पूंजीगत लागत

नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना के लिए प्रचलित बाजार प्रवृत्तियों के आधार पर, आयोग केवल परियोजना विशिष्ट पूंजीगत लागत और टैरिफ का निर्धारण करेगा।

69. क्षमता उपयोगिता कारक

69.1 नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में, आयोग केवल परियोजना विशिष्ट क्षमता उपयोगिता कारक का निर्धारण करेगा, जिसमें प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की निर्धारित क्षमता के अनुपात और ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए लागू क्षमता उपयोगिता कारक को, जैसी भी स्थिति हो, ध्यान में रखा जाएगा।

69.2 न्यूनतम सी.यू.एफ. को 30 प्रतिशत के रूप में विचार किया जाएगा, जब इसे अंतर–संयोजन बिंदु पर मापा जाएगा, जहां ऊर्जा को ग्रिड में अंतःक्षेपित किया जाता है।

70. सहायक खपत

नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में, आयोग केवल परियोजना विशिष्ट सहायक खपत का निर्धारण करेगा, जिसमें प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की निर्धारित क्षमता के अनुपात और ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए लागू सहायक खपत का, जैसी भी स्थिति हो, ध्यान में रखा जाएगा।

71. संचालन और संधारण व्यय

नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में, प्रचलित बाजार प्रवृत्तियों के आधार पर आयोग केवल परियोजना विशिष्ट ओ एंड एम लागत का निर्धारण करेगा

72. टैरिफ

नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना के लिए टैरिफ, समग्र रूप से परियोजना के लिए एक संयुक्त स्तरीकृत टैरिफ होगा, जिसमें ऐसी नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना के लिए संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोगी जीवन के न्यूनतम तक के टैरिफ घटकों को शामिल किया जाएगाः

परंतु यदि नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना के लिए संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में से किसी का उपयोगी जीवन शेष रह जाता है, तो ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के शेष उपयोगी जीवन के लिए स्तरीकृत टैरिफ का निर्धारण, शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रासंगिक टैरिफ घटकों को ध्यान में रखते हुए पृथक से किया जाएगा।

अध्याय 12: भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड

73. पूंजीगत लागत

भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रचलित बाजार प्रवृत्तियों के आधार पर, आयोग केवल परियोजना–विशिष्ट पूंजीगत लागत और टैरिफ का निर्धारण करेगा।

74. क्षमता उपयोगिता कारक

भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में, आयोग केवल परियोजना विशिष्ट क्षमता उपयोगिता कारक का निर्धारण करेगाः

परंतु यह कि आयोग, इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट भंडारण के साथ प्रयुक्त वास्तविक नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के आधार पर लागू क्षमता उपयोगिता कारक पर विचार करेगा।

75. भंडारण दक्षता

75.1 आयोग, केवल परियोजना–विशिष्ट टैरिफ के लिए भंडारण दक्षता को अनुमति देगाः

परंतु यह कि ठोस–अवस्था बैटरी भंडारण के लिए न्यूनतम दक्षता 80 प्रतिशत होगीः

परंतु यह और भी कि पम्प स्टोरेज के लिए न्यूनतम दक्षता 75 प्रतिशत होगी।

75.2 भण्डारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के भण्डारण घटक की दक्षता को, वार्षिक आधार पर भण्डारण से प्राप्त आउटपुट ऊर्जा और ऐसी परियोजना के भण्डारण घटक को आपूर्ति की गई इनपुट ऊर्जा के अनुपात के रूप में मापा जाएगा।

76. सहायक खपत

सहायक खपत को इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट वास्तविक रूप से प्रयुक्त नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के लिए विचार किया जाएगा।

77. संचालन और संधारण व्यय

भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रचलित बाजार प्रवृत्तियों के आधार पर, आयोग केवल परियोजना–विशिष्ट ओ एंड एम लागत पर विचार करेगा।

78. टैरिफ

भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए टैरिफ, दिन के समय के आधार पर एक संयुक्त टैरिफ या विभेदक टैरिफ होगा, जो परियोजना से आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिसमें भंडारण सुविधा से आपूर्ति की गई ऊर्जा भी शामिल होगीः

परंतु यह कि ऐसी टैरिफ, चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए या परियोजना उत्पादक और लाभार्थी द्वारा सहमत समयावधि के लिए निर्धारित की जा सकेगी ।

अध्याय 13: विविध

79. प्रतिमानकों से विचलन

उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत के विक्रय हेतु टैरिफ को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के विचलन में इस शर्त के अधीन निर्धारित किया जा सकता है कि इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिमानों से विचलन के कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाएगा।

80. छूट देने की शक्ति

आयोग अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश से कारणों को अभिलिखित करते हुए और प्रभावित हो सकने वाले पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों को स्वयं अपनी ओर से अथवा उसके समक्ष किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, छूट प्रदान कर सकेगा।

81. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

यदि इन विनिमयों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग स्वप्रेरणा से अथवा आदेश जारी करके तथा जो उस आदेश से प्रभावित हो सकते हों उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करके, इन विनियमों से सुसंगत ऐसे प्रावधान कर सकेगा, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाए।

टीपः– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./–

(एस.पी. शुक्ला)
सचिव.

प्ररूप–1.1. (पवन ऊर्जा/ लघु जलविद्युत परियोजना/ सौर पी.व्ही./सौर तापीय /फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं/ अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन आधारित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट परियोजनाएं) के लिए टेम्पलेट : पैरामीटर मान्यताएं

स. क्र.	अवधारणा शीर्ष	उप–शीर्ष	उप–शीर्ष (2)	इकाई	पैरामीटर मूल्य
1.	**विद्युत उत्पादन**				
		क्षमता			
			संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता	मेगावाट	
			क्षमता उपयोग कारक	%	
			वाणिज्य प्रचालन तिथि	माह/वर्ष	
			उपयोगी जीवन	वर्ष	
2.	**परियोजना लागत**				
		पूंजीगत लागत/ मेगावाट			
			मानक पूंजीगत लागत	रू. लाख / मेगावाट	
			पूंजीगत लागत	रू. लाख	
			पूंजीगत सब्सिडी, यदि हो	रू. लाख	
			शुद्ध पूंजीगत लागत	रू. लाख	
3.	**वित्तीय अवधारणा**				
			टैरिफ अवधि	वर्ष	
		ऋण : इक्विटी			
			ऋण	%	
			इक्विटी	%	
			कुल ऋण इक्विटी	रू. लाख	
			कुल इक्विटी राशि	रू. लाख	
		ऋण घटक			
			ऋण राशि	रू. लाख	
			अधिस्थगन अवधि	वर्ष	
			पुर्नअदायगी अवधि (अधिस्थगन सहित)	वर्ष	
			ब्याज दर	%	
		इक्विटी घटक			
			इक्विटी राशि	रू. लाख	
			प्रथम 10 वर्ष के लिए लाभांश	% प्रति वर्ष	
			11 वर्ष से आगे लाभांश	% प्रति वर्ष	
		मूल्यह्रास			
			प्रथम 12 वर्ष के लिए मूल्यह्रास दर	%	
			प्रथम 13 वर्ष के आगे मूल्यह्रास दर	%	

4.	प्रचालन एवं रखरखाव				
		मानक ओ एवं एम व्यय		रू. लाख/ मेगावाट	
		ओ एवं एम व्यय प्रति वर्ष		रू. लाख	
		ओ एवं एम व्यय के लिए वृद्धि कारक		%	
5.	**कार्यशील पूंजी**				
		ओ एवं एम व्यय		माह	
		अतिरिक्त रखरखाव	(ओ एवं एम व्यय का प्रतिशत)	%	
		प्राप्ययोग्य		माह	
		कार्यशील पूंजी पर ब्याज		% प्रति वर्ष	

प्ररूप 1.2: टैरिफ घटकों का निर्धारणः (पवन ऊर्जा / लघु जलविद्युत परियोजना /सौर पी.व्ही. /सौर तापीय / फ्लोटिंग सौर / अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन आधारित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं) के लिए टेम्पलेट

उत्पादन इकाई	**इकाई**	**वर्ष–1**	**वर्ष–2**	**वर्ष–3**	**वर्ष–4**	**वर्ष–5**
संस्थापित क्षमता	मेगावाट					
शुद्ध उत्पादन	मिलीयन यूनिट					
टैरिफ घटक (स्थिर प्रभार)	**इकाई**	**वर्ष–1**	**वर्ष–2**	**वर्ष–3**	**वर्ष–4**	**वर्ष–5**
ओ एवं एम व्यय	रू. लाख					
मूल्यह्रास	रू. लाख					
अवधि ऋण पर ब्याज	रू. लाख					
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	रू. लाख					
लाभांशा	रू. लाख					
कुल स्थिर लागत	**रू. लाख**					
प्रति इकाई टैरिफ घटक	**इकाई**	**वर्ष–1**	**वर्ष–2**	**वर्ष–3**	**वर्ष–4**	**वर्ष–5**
प्रति इकाई ओ एवं एम व्यय	रू./ किलावाट घंटा					
प्रति इकाई मूल्यह्रास	रू./ किलावाट घंटा					
अवधि ऋण पर प्रति इकाई ब्याज	रू./ किलावाट घंटा					
कार्यशील पूंजी पर प्रति इकाई ब्याज	रू./ किलावाट घंटा					
प्रति इकाई लाभांश	रू./ किलावाट घंटा					
प्रति इकाई टैरिफ घटक	रू./ किलावाट घंटा					

प्ररूप 2.1ः (बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना, बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजनाएं या गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित कोजेन) के टेम्पलेट : पैरामीटर मान्यताएं

प्ररूप 2.1ः (बायोमास विद्युत, बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना, बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजनाएं या गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित कोजन) के टेम्पलेट : पैरामीटर मान्यताएं					
स. क्र.	अवधारणा शीर्ष	उप–शीर्ष	उप–शीर्ष (2)	इकाई	पैरामीटर मूल्य
1.	**विद्युत उत्पादन**				
		क्षमता			
			संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता	मेगावाट	
			सहायक खपत कारक	%	
			सीओडी के एक वर्ष तक आगामी छः माह में पीएलफ	%	
			सीओडी के प्रथम छः माह के दौरान पीएलफ	%	
			सीओडी के आगे के 2 वर्ष से पीएलफ	%	
			क्षमता उपयोग कारक	%	
			वाणिज्य प्रचालन तिथि	माह / वर्ष	
			उपयोगी जीवन	वर्ष	
2.	**परियोजना लागत**				
		पूंजीगत लागत / मेगावाट			
			मानक पूंजीगत लागत	रू. लाख / मेगावाट	
			पूंजीगत लागत	रू. लाख	
			पूंजीगत सब्सिडी, यदि हो	रू. लाख	
			शुद्ध पूंजीगत लागत	रू. लाख	
3.	**वित्तीय अवधारणा**				
			टैरिफ अवधि	वर्ष	
		ऋण : इक्विटी			
			ऋण	%	
			इक्विटी	%	
			कुल ऋण इक्विटी	रू. लाख	
			कुल इक्विटी राशि	रू. लाख	
		ऋण घटक			
			ऋण राशि	रू. लाख	
			अधिस्थगन अवधि	वर्ष	
			पुर्नअदायगी अवधि (अधिस्थगन सहित)	वर्ष	
			ब्याज दर	%	
		इक्विटी घटक			
			इक्विटी राशि	रू. लाख	

			प्रथम 10 वर्ष के लिए लाभांश	% प्रति वर्ष	
			11 वर्ष से आगे लाभांश	% प्रति वर्ष	
		मूल्यह्रास			
			प्रथम 12 वर्ष के लिए मूल्यह्रास दर	%	
			प्रथम 13 वर्ष के आगे मूल्यह्रास दर	%	
4.	**संचालन और संधारण**				
		मानक ओ एवं एम व्यय		रू. लाख / मेगावाट	
		ओ एवं एम व्यय प्रति वर्ष		रू. लाख	
		ओ एवं एम व्यय के लिए वृद्धि कारक		%	
5.	**कार्यशील पूंजी**				
		ओ एवं एम व्यय		माह	
		अतिरिक्त रखरखाव	(ओ एवं एम व्यय का प्रतिशत)	%	
		प्राप्ययोग्य		माह	
		बायोमास स्टॉक		माह	
		न्गरपालिक ठोस अपशिष्ट स्टॉक		माह	
		अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन स्टॉक		माह	
		कार्यशील पूंजी पर ब्याज		% प्रति वर्ष	
6.	**ईंधन आधारित अवधारणा**				
		केन्द्र ताप दर	स्थिरीकरण के दौरान	किलो कैलोरी / किलो वाट घंटा	
			स्थिरीकरण पश्चात	किलो कैलोरी / किलो वाट घंटा	
		ईंधन का प्रकार एवं मिश्रण	बायोमास ईंधन टाईप–1	%	
			बायोमास ईंधन टाईप–2	%	
			न्गरपालिक ठोस अपशिष्ट ईंधन	%	
			अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन	%	
			जीवाश्म ईंधन (कोयला)	%	

			बायोमास ईंधन टाईप–1 का जीसीव्ही	किलो कैलोरी / किलो वाट	
			बायोमास ईंधन टाईप–2 का जीसीव्ही	किलो कैलोरी / किलो ग्राम	
			नगरपालिक ठोस अपशिष्ट ईंधन का जीसीव्ही	किलो कैलोरी / किलो ग्राम	
			अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन का जीसीव्ही	किलो कैलोरी / किलो ग्राम	
			जीवाश्म ईंधन (कोयला) का जीसीव्ही	किलो कैलोरी / किलो ग्राम	
			बायोमास मूल्य (ईंधन टाईप–1) : वर्ष –1	रू. / मीट्रिक टन	
			बायोमास मूल्य (ईंधन टाईप–2) : वर्ष –1	रू. / मीट्रिक टन	
			नगरपालिक ठोस अपशिष्ट मूल्य / वर्ष –1	रू. / मीट्रिक टन	
			अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन मूल्य / वर्ष –1	रू. / मीट्रिक टन	
			जीवाश्म ईंधन (कोयला) मूल्य / वर्ष –1	रू. / मीट्रिक टन	
			ईंधन मूल्य वृद्धि कारक	% प्रति वर्ष	

प्ररूप 2.2: टैरिफ घटकों का निर्धारण: (बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना, बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजनाएं या गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन) के लिए टेम्पलेट

प्ररूप 2.2: टैरिफ घटकों का निर्धारण: (बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना, बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजनाएं या गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित कोजन) के लिए टेम्पलेट						
उत्पादन इकाई	**इकाई**	**वर्ष–1**	**वर्ष–2**	**वर्ष–3**	**वर्ष–4**	**वर्ष–5**
संस्थापित क्षमता	मेगावाट					
शुद्ध उत्पादन	मिलीयन यूनिट					
टैरिफ घटक (स्थिर प्रभार)	**इकाई**	**वर्ष–1**	**वर्ष–2**	**वर्ष–3**	**वर्ष–4**	**वर्ष–5**
ओ एवं एम व्यय	रू. लाख					
मूल्यह्रास	रू. लाख					
अवधि ऋण पर ब्याज	रू. लाख					
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	रू. लाख					
लाभांश	रू. लाख					
कुल स्थिर लागत	**रू. लाख**					
टैरिफ घटक (परिवर्तनीय प्रभार)	**इकाई**	**वर्ष–1**	**वर्ष–2**	**वर्ष–3**	**वर्ष–4**	**वर्ष–5**
बायोमास ईंधन टाईप–1	रू. लाख					
बायोमास ईंधन टाईप–2	रू. लाख					
जीवाश्म ईंधन (कोयला) टाईप–1	रू. लाख					
नगरपालिक ठोस अपशिष्ट	रू. लाख					
अपशिष्ट ब्युत्पन्न ईंधन	रू. लाख					
उप–कुल (ईंधन लागत)	**रू. लाख**					
विद्युत के लिये आवंटित ईंधन लागत	%					
कुल ईंधन लागत	**रू. लाख**					
प्रति इकाई टैरिफ घटक (स्थिर)	**इकाई**	**वर्ष–1**	**वर्ष–2**	**वर्ष–3**	**वर्ष–4**	**वर्ष–5**
प्रति इकाई ओ एवं एम व्यय	रू./ किलावाट घंटा					
प्रति इकाई मूल्यह्रास	रू./ किलावाट घंटा					
अवधि ऋण पर प्रति इकाई ब्याज	रू./ किलावाट घंटा					
कार्यशील पूंजी पर प्रति इकाई ब्याज	रू./ किलावाट घंटा					
प्रति इकाई लाभांश	रू./ किलावाट घंटा					
प्रति इकाई टैरिफ घटक (स्थिर)	रू./ किलावाट घंटा					
प्रति इकाई टैरिफ घटक (परिर्वतनीय)	रू./ किलावाट घंटा					
प्रति इकाई टैरिफ घटक (कुल)	रू./ किलावाट घंटा					

प्ररूप 3.1 : बायोगैस आधारित बिजली परियोजना / बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजनाएं / गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित कोजेन के लिए टेम्पलेट : ईंधन उपयोगिता विवरण

विद्युत के स्रोत :

1............... 2............................. 3................................. 4..................................

स. क्र.	माह	बायोमास ईंधन–1 खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–2 खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–1 खपत (टन में)			जीवाश्म ईंधन (कोयला) खपत (टन में)			(%)कुल ईंधन खपत का (%) जीवाश्म ईंधन खपत		माह के दौरान विद्युत उत्पादन (किलोवाट घंटा)		वित्तीय वर्ष के दौरान माह के अंत तक संचयी विद्युत उत्पादन (किलोवाट घंटा)	
		ईंधन का प्रकार	वर्तमान माह के दौरान	कैलोरिक मूल्य, किलो कैलोरी/किलोग्राम	ईंधन का प्रकार	वर्तमान माह के दौरान	कैलोरिक मूल्य, किलो कैलोरी/किग्रा	ईंधन का प्रकार	वर्तमान माह के दौरान	कैलोरिक मूल्य, किलो कैलोरी/किग्रा	उपयोग की गई कोयले का ग्रेड	वर्तमान माह के दौरान	कैलोरिक मूल्य, किलो कैलोरी/किग्रा	वर्तमान माह के दौरान	संचयी अंतिम 12 माह	सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	अप्रैल																		
2	मई																		
3	जून																		
4	जुलाई																		
5	अगस्त																		
6	सित.																		
7	अक्टू.																		
8	नव.																		
9	दिस.																		
10	जनवरी																		
11	फरपरी																		
12	मार्च																		

प्ररूप 3.2: मासिक ईंधन उपयोग विवरण (2/2)

मासिक अद्यतन

परियोजना का नाम

(स्थान, जिला)

क्रेडा/उपयोगिता संदर्भ संख्या

संस्थापित क्षमता (मेगावाट)

प्रारंभ की तिथि

वित्तीय वर्षः

विवरण दिनांक

परियोजना कोड

स. क्र.	माह	बायोमास ईंधन–1 खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–2 खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–3 खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–4 खपत (टन में)		
		प्रारंभिक स्टॉक	विद्युत संयंत्र स्थल से प्राप्य	समापन स्टॉक	प्रारंभिक स्टॉक	विद्युत संयंत्र स्थल से प्राप्य	समापन स्टॉक	प्रारंभिक स्टॉक	विद्युत संयंत्र स्थल से प्राप्य	समापन स्टॉक	प्रारंभिक स्टॉक	विद्युत संयंत्र स्थल से प्राप्य	समापन स्टॉक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अप्रैल												
2	मई												
3	जून												
4	जुलाई												
5	अगस्त												
6	सित.												
7	अक्टू.												
8	नव.												
9	दिस.												
10	जनवरी												
11	फरपरी												
12	मार्च												